उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

निर्मला कुमारी
बनाम
बडाईक कृष्णदेव सिंह वगै0

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 24/2018–19

वाद का प्रकार :– रेभेन्यू रिवीजन (Revenue Revision)

अपीलार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी पति – श्री कमल प्रसाद, ग्राम – करौन्दी थाना – गुमला जिला – गुमला द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 – 31/2016–17 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Revision Petition पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय रॉची द्वारा W.P.C वाद सं0–403/2015 में दिनांक–28.10.2016 के आदेश के आधार व आवेदिका के आवेदन दिनांक–03.12.2016 पर अंचल अधिकारी गुमला द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस बाद में वादग्रस्त भूमि खाता नं0–6 प्लॉट नं0–649 रकबा–0.40 एकड़ जो ग्राम करौन्दी थाना व जिला–गुमला से संबंधित है। खाता नं0–06 की जमीन भूतपूर्व जमीनदार बडाईक देवनन्दन सिंह से संबंधित है जो दोनों पक्षों को मान्य है।

बडाईक देवनन्दन सिंह के एकमात्र पुत्र बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह हुए जिनके द्वारा वादग्रस्त भूमि कुल 5.09 एकड़ जमीन को निबंधित दानपत्र दिनांक–17.04.1963 द्वारा अपने साला नागेन्द्र नाथ देव के पक्ष में हस्तांतरित कर दिए। नागेन्द्र नाथ देव द्वारा दानपत्र को लेना स्वीकार किया तथा वे दखल में आए और अपने नाम से वर्ष–1968–69 में नामांतरण भी कराकर सरकार को मालगुजारी देते रहें। नागेन्द्र नाथ देव जब तक जीवित रहें तब–तक सरकार को मालगुजारी देते हुए दखलकार रहें, तथा उनके मृत्यु के बाद उनके एक मात्र पुत्र जितेन्द्र प्रताप देव का वादग्रस्त जमीन सहित दान पत्र की सभी जमीन पर दखलकार हुए तथा अपने पिता के नाम मालगुजारी देते रहें। जितेन्द्र प्रताप देव द्वारा वादग्रस्त जमीन खाता सं0–06 प्लॉट सं0–649 रकबा–0.48 एकड़ में से 0.40 एकड़ जमीन को दो निबंधित बिक्रय पत्र दिनांक–29.04.2008 द्वारा आवेदिका के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। अपीलार्थी दिनांक–29.04.2008 के विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद दखल में आया तथा वर्तमान में भी बिना किसी अवरोध के दखल में चली आ रही है। उसका दखल का सबसे बडा प्रमाण यह है कि वह उपरोक्त जमीन के ठीक बगल में घर बना कर पूर्व से निवास करती आ रही हे।

वर्तमान में जमीन की जमाबंदी सरस्वती सिंह वगै0 के नाम पर चल रही है परन्तु वह न्यायालय को धोखा देकर चढवाया गया है और कानूनन नागेन्द्र देव के नाम से ही जमाबंदी चलनी चाहिए क्योकि नाग्रेन्द्र नाथ देव की जमाबंदी नामांतरण अपील वाद सं0–33 एवं 34/2005–06 द्वारा रद्द की गई है उसमें वादग्रस्त जमीन संबंधी आदेश पारित ही नही किया गया है।

नामांतरण अपील वाद सं0–33 एवं 34/2005–06 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा अपने आदेश दिनांक–22.12.2006 में उस वाद की वादग्रस्त सम्पति पर ही सरस्वती देवी वगै0 के नाम जमांबदी करने का आदेश किया गया। उस वाद में खाता नं0–46 प्लॉट नं0–653 रकबा–0.76 एकड़ जमीन की जमाबंदी सरस्वती देवी वगै0 के नाम पर करने का आदेश दिया गया था जबकि इस वाद की वादग्रस्त भूमि का खाता सं0 प्लॉट सं0– एवं रकबा– बिलकुल भिन्न है अतः उक्त आदेश किसी भी तरह से आवेदिका के हित को प्रभावित नही करता है।

विपक्षी सरस्वती देवी व उनके पुत्र बडाईक कृष्णदेव सिंह द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी को धोखा देते हुए 0.76 एकड़ जमीन सहित दानपत्र की कुल 5.09 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करवा दी परन्तु अभी भी वादग्रस्त जमीन की जमाबंदी नागेन्द्र नाथ देव के नाम से चलनी चाहिए, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि छल कपट व न्यायालय को धोखा देकर कोई आदेश प्राप्त है तो उसी समय उस आदेश को निष्क्रिय या शून्य माना जा सकता है। उत्तरवादीगण का यह कथन कि दान पत्र दिनांक–17.04.1963 को सिलिंग वाद में शून्य घोषित किया गया है इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि धारा–31 स्पेसीफिक रिलिफ एक्ट के आधार पर कोई भी पट्टा चाहे वह बिक्री हो या दान सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा ही केवल रद्द हो सकता है इसलिए उत्तरवादी का यह आधार भी निरर्थक हो जाता है। नागेन्द्र

नाथ देव के नाम वादग्रस्त जमीन सहित दानपत्र की कुल जमीनों की जमाबंदी वर्ष–1968–69 से लेकर वर्ष–2007–08 ई0 तक चली है जिसके प्रमाण स्वरुप सूचना के अधिकार में दी गई सूचना जो ज्ञापांक–707 दिनांक–23.07.2016 द्वारा प्रदान की गई है। लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को बिना सक्ष्म व्यवहार न्यायालय के राजस्व न्यायालयों द्वारा रद्द नही की जा सकती है जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है जो 2001 जे0 सी0 आर0 206 झारखण्ड रिपोर्टेड है। तत्कालीन अंचल अधिकारी गुमला द्वारा पूर्व में दिनांक–20.07.2010 को भी नागेन्द्र नाथ देव के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश निकाला गया था।वादग्रस्त जमीन से संबंधित दफा 144 द0प्र0सं0 वाद भी प्रारम्भ हुआ था जिसे तत्कालीन अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गुमला द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला के न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन सं0–5/2010 उपरोक्त आदेश के विरुद्ध किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 30.03.2010 को आदेश पारित हुआ है। उत्तवादीगण द्वारा धारा–144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत वाद सं0–एम 93/2020 के आदेश दिनांक–13.08.2020 को दाखिल किया गया है और कहा गया है कि उस आदेश से उसके हक व दखल की पुष्टि होती है। इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि धारा–144 द0प्र0सं0 के आदेश का मात्र 60 दिनों तक प्रभाव होता है जो द0प्र0सं0 के धारा–144(4) में स्पष्ट होता है। साथ ही साथ उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन अपीलार्थी द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला के न्यायालय में दायर किया गया है जिसका क्रिमिनल रिवीजन सं0–23/2020 है इसलिए वह आदेश अभी भी विचाराधीन है।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 लगान रसीद
2 निबंधित दान पत्र दिनांक 17.04.1963
3 दोनो विकय पत्र की छाया प्रति।
4 letter no 707 दिनांक 23.07.2016 की छाया प्रति
5 भूमि सुधार द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति
6 दोनो विकय पत्र की छाया प्रति।
7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला के न्यायालय में पारित आदेश की छाया प्रति।
8 रुलिंग की छाया प्रति
9 किमिनल रिवीजन सं0–23/2020 वह आदेश अभी भी विचाराधीन है मेमो आफॅ रिवीजन की छाया प्रति।
10 पंजी ii की छाया प्रति।
11 सूचना अधिकार अधिनियम–2005 से प्राप्त सूचना की छाया प्रति

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विद्य अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रेभेन्यू रिवीजन वाद अपीलार्थी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–31/2016–17 में पारित आदेश दिनांक–30.08.2018 के विरुद्ध दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–04/2016–17 को सःसंघर्ष खारिज किया गया था। जिसमें वादग्रस्त भूमि मौजा करौन्दी थाना नं0–57 आवासीत खाता नं0–06 प्लॉट नं0–649 रकबा–0.40 एकड़ से संबंधित है। दाखिल खारिज वाद सं0–04/2016–17 में पारित आदेश के पूर्व भी अंचल अधिकारी गुमला द्वारा प्रश्नगत जमीन से सबंधित दाखिल खारिज वाद सं0–10/2014 को अस्वीकृत किया गया था तथा कालान्तर में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रॉची द्वारा डब्लू0पी0सी0 403/2015 में पारित निर्देश के आलोक में आवेदिका निर्मला देवी के दाखिल खारिज आवेदन को अंचल अधिकारी गुमला द्वारा बिहार टेनेंट होल्डींग मेनटेनेंस आफॅ रिकॉड एक्ट 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः सुनवाई करते हुए दाखिल खारिज वाद सं0–04/2016–17 में आदेश पारित दिनांक–07.02.2017 को किया गया। अपीलार्थी निम्न न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए प्रतिपादित किया कि प्रश्नगत जमीन खाता सं0–06 के अंतर्गत है जो भूतपूर्व जमीन्दार बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक–17.04.1963 को वादग्रस्त भूमि सहित कुल 5.09 एकड़ भूमि निबंधित दान पत्र सं0–864/63 द्वारा अपने साला नागेन्द्र नाथ देव को हस्तांतरित कर दिया था तथा नागेन्द्र नाथ देव वादग्रस्त भूमि का दाखिल खारिज वर्ष–1968–69 ई में कराया था। नागेन्द्रनाथ देव की मृत्यु के पश्चात उनका एक पुत्र जितेन्द्र प्रताप देव प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए तथा उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि खता सं0–6 प्लॉट नं0–649 रकबा–0.48 एकड़ में से 0.40 एकड़ को निबंधित बिकय पत्र सं0–1389/2008 एवं 1399/2008 के द्वारा आवेदिका निर्मला देवी के पक्ष में दिनांक–29.04.2008 को हस्तांतरित कर दिया। आवेदिका का दावा है कि चूँकि वादग्रस्त भूमि के बगल में उनका मकान है इसलिए प्रश्नगत जमीन में उनका दखल कब्जा है। आवेदिका द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष यह तथ्य को स्वीकार किया गया था कि प्रश्नगत जमीन के खरीदगी के समय वर्ष–2008 में प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी वो पंजी ii रैयत सरस्वती सिंह के नाम चल रही है।

उत्तरवादीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया गया था कि भूतपूर्व जमीन्दार बडाईक देवनन्दन सिंह का एक मात्र पुत्र बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह के

पुत्र बडाईक ब्रजकिशोर सिंह हुए तथा विपक्षी सरस्वती सिंह बडाईक ब्रजकिशोर सिंह की विधवा पत्नी है वो बडाईक कृष्णदेव सिंह बडाईक ब्रजकिशोर सिंह के एक मात्र पुत्र है।

वादग्रस्त भूमि को उत्तरवादी उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त किए है। भू–हदबंदी वाद सं0–12/414/1973–74 में वादग्रस्त प्लॉट को भूधारी बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह की सम्पत्ति माना गया तथा नागेन्द्रनाथ देव के नाम पर दान पत्र सं0–864/1963 को नाजायज मानते हुए रद्द कर दिया गया। इस तथ्य का उल्लेख अंचल अधिकारी गुमला के पत्रांक–56 दिनांक–13.01.2013 को अपर समाहर्त्ता गुमला को दी गई भू–हदबंदी वाद सं0–12/414/73–74 राज्य सरकार बनाम बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता ने पट्टा सं0–864/63–64 के द्वारा अन्तरण को अवैध गैर–कानूनी एवं अप्रभावी घोषित करते हुए वक्सीशनामा से संबंधित भूमि को भू–धारी बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह को मानी गई है। इस पारित आदेश के विरुद्ध नागेन्द्र नाथ देव अथवा उनके उत्ताधिकारी जितेन्द्र प्रताप देव के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपील या रिवीजन सक्ष्म न्यायालय के समक्ष नही किया गया है। नागेन्द्र नाथ देव मौजा– नगर उटारी के बडें भू–धारी थे उनका वादग्रस्त भूमि में कभी दखल कब्जा नही रहा था। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में उत्तरवादी का हक दखल है। वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी सरस्वती सिंह के नाम से चल रही है तो अपीलार्थी निर्मला देवी वर्ष 2008 में जितेन्द्र प्रताप देव से दो फर्जी पट्टा लिखवायी जिस पर अपीलार्थी का कोई हक दखल प्राप्त नही हो सका चूँकि 2008 में जितेन्द्र प्रताप देव न तो प्रश्नगत जमीन के मालिक थे और न ही उनके नाम से जमाबंदी कायम था। अपीलार्थी निर्मला देवी निम्न न्यायालय के समक्ष या तथ्य स्वीकार की है कि नामांतरण हेतु आवश्यक बिन्दु PrimaFacie title तथा दखल का होना आवश्यक है परन्तु नागेन्द्र नाथ देव अथवा उनके पुत्र जितेन्द्र प्रताप देव का प्रश्नगत प्लॉट में PrimaFacie title तथा दखल नही था। अपीलार्थी के द्वारा सुनवाई के दौरान यह कथन कि प्रश्नगत जमीन के बगल में मकान होने की वजह से विवादित भूमि पर उनका विधिक दखल नही समझा जा सकता है।

निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का बिक्रय पत्र सं0–1398/2008 एवं 1399/2008 के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर विधिक दखल प्राप्त नही होने के कारण अपीलार्थी का दाखिल खारिज आवेदन को सःसंघर्ष खारिज किया गया है जो विलकुल सही वो जायज है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखते हुए इस रिवीजन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
2 एल0सी0 वाद सं0–12/414/1973–74 का आदेश की छाया प्रति।
3 विविध वाद सं0–39/2006–07 का आवेदन एवं आदेश की छाया प्रति।
4 विविध वाद सं0–06/2008–09 का आदेश की छाया प्रति।
5 भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6 अंचल अधिकारी गुमला द्वारा निर्गत पत्रांक–367(ii) दिनांक–12.04.12 का छाया प्रति।
7 दाखिल खारिज वाद सं0–04/2016–17 का आदेश पत्रक एवं अंतिम आदेश का छाया प्रति।
8 एम वाद सं0–93/2020 का आदेश की छाया प्रति।

9 Rev Appeal No. 33/2005–06 एवं 34/2005–06 का आदेश की छाया प्रति।

10 Rev. Rev. 158/06 में पारित उपायुक्त का आदेश दिनांक–21/04/2011 की छाया प्रति।

11 2009(4) जे0 एल0जे0आर (SC) 173 पृष्ठ

12 2016(1) JBCJ (SC) Page 135

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेभन्यू रिवीजन वाद सं0–158/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–21.04.2011 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बकशीशनामा पट्टा सं0–864/1963–64 को भू–हदबन्दी बाद सं0–12/414/1973–74 में पारित आदेश के आलोक में नजायज मानते हुए रद्द कर दिया गया तथा बकशीश नामा पट्टा सं0–864/1963–64 में दर्ज सभी जमीनों को भू–धारी बडाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह की सम्पत्ति मानी गई तथा इस वाद के उत्तरवादी सरस्वती सिंह वगैरह भू–धारी ईश्वरी प्रसाद सिंह के वंशज है जिसके नाम विविध वाद सं0–39/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–06.08.2007–08 के आलोक में जमाबंदी कायम है। अपीलार्थी निबंधित पट्टा सं0–1398/2008 एवं 1399/2008 से वादग्रस्त जमीन में दावा प्रस्तुत कर रहें है, परन्तु वर्ष–2008 ई0 में जितेन्द्र प्रताप देव की जमाबंदी Primafacie title के अभाव में खारिज की जा चूकी थी तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी उत्तरवादी सरस्वती सिंह वगैरह के नाम कायम थी। अतः इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखते हुए रेभन्यू रिवीजन वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेजते हुए इसकी प्रति संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

14.05.22

उपायुक्त,
गुमला

14.05.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 12:51:36 +05:30
Location: 192.168.5.101